रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, शनिवार, जून 25, 1983/आषाढ़ 4, 1905
No. 239] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 1983/ASADHA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1983

सं. 171/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 512(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 231/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 अक्तूबर, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसी फिल्मों या शीटों का उक्त मद 15क की उप-मद (1) के अंतर्गत आने वाले किसी प्रकार के ऐसे कृत्रिम रेजिन या प्लास्टिक सामग्री या सेलुलोस ऐस्टर या सेलुलोस ईथर से उत्पादन किया जाता है जिन पर, यथास्थिति, उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 3 के अधीन उत्पाद-शुल्क का या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क का पहले ही संदाय कर दिया गया है :

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट ऊपर निर्दिष्ट ऐसी फिल्मों या शीटों को लागू नहीं होगी जिनका ऊपर निर्दिष्ट ऐसे कृत्रिम रेजिन या प्लास्टिक सामग्री या सेलूलोस ऐस्टर या सेलूलोस ईथर से उत्पादन किया जाता है जो, यथास्थिति, उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन समस्त उत्पाद-शुल्क से या उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट प्राप्त हैं और ऐसी छूट का उपभोग कर लिया गया है ।"

[फा. सं. 93/10/83-के.उ.शु.3]

राजेन्द्र प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 1983

No. 171/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 512(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry

of Finance (Department of Revenue) No. 231/82-Central Excises, dated the 23rd October, 1982, namely :—

In the said notification, for the proviso, the following provisos shall be substituted :—

"Provided that such films or sheets are produced out of artificial resins or plastic materials or cellulose esters or cellulose ethers in any form, falling under sub-item (1) of the said Item 15A on which the duty of excise under section 3 of the said Central Excises and Salt Act or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of (1975), as the case may be, has already been paid ;

Provided further that the exemption contained in this notification shall not apply to such films or sheets referred to above as are produced out of such artificial resins or plastic materials or cellulose esters or cellulose ethers referred to above as are exempt from the whole of the duty of excise under the said Central Excises and Salt Act, or from the whole of the additional duty under section 3 of the said Customs Tariff Act, as the case may be, and such exemption has been availed of."

[F. No. 93/10/83-CX. 3]

RAJENDRA PRASAD, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983